QUALITY FOILS (INDIA) LIMITED

Formerly known as Quality Foils (India) Pvt. Ltd.
(An ISO 9001:2008 Certified Company)
3, Industrial Development Colony, Hisar-125005,Haryana
Tel: 0091 – 1662 – 220327, 220328
E-mail: contactus@qualityfoils.com: Website: www.qualitygroup.in
CIN: L27107HR1990PLC030929

Date: August 21, 2026

To,

The Manager,
Listing Compliance Department,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block,
Bandra kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai-400051

Scrip Code: QFIL
ISIN: INE0O1M01015

Sub: Intimation of Newspapers Publication of Notice of 36th AGM, Remote E-voting and closure of register of Members of Quality Foils (India) Limited.

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 42 & 44 of SEBI (LODR, Regulations) 2015 read with Section 91 of the Companies Act, 2013 and rule 10 and rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company hereby wish to intimate that in addition to the intimation made to stock exchange on August 10, 2026 for **36th Annual General Meeting ("AGM")** of the Company which is scheduled to be held on **Friday, September 11, 2026,** at **10:30 A.M.** at the registered office of the Company situated at 3 – Industrial Development Colony, Hisar-125005, Haryana, following are the Book closure, Cut-Off and E-voting dates for the said AGM.

Event	Date	Time
Cut-off date for E-voting	September 04, 2026	N.A.
Book closure period	September 05, 2026 – September 11, 2026 (both days inclusive)	N.A.
Commencement of E-voting	September 08, 2026	09:00 a.m.
End of E-voting	September 10, 2026	05:00 p.m.

Also please find enclosed herewith the public notice issued by way of newspaper advertisements published today i.e. August 21, 2025 both in one English language in "The Pioneer" (English edition) and Vernacular language (Hindi) in "Haryana Today" newspaper regarding notice of AGM, Remote e-voting & Closure of Register of Members of the Company.

Kindly take the same on records and oblige.

Thanking You,

For **Quality Foils (India) Limited**

VIKAS Digitally signed by VIKAS Date: 2026.08.21 17:37:11 +05'30'

QUALITY FOILS (INDIA) LTD. 3-IDC HISAR 125005

Vikas
Company Secretary and Compliance Officer

Encl.: Newspaper Advertisements

QUALITY FOILS (INDIA) LIMITED

Formerly known as Quality Foils (India) Pvt. Ltd.
(An ISO 9001:2008 Certified Company)
3, Industrial Development Colony, Hisar-125005, Haryana
Tel: 0091-1662-220327, 220328
E-mail: contactus@qualityfoils.com; Website: www.qualitygroup.in
CIN: L27107HR1990PLC030929

NOTICE FOR 36TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE-EVOTING & CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS

1. NOTICE

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting (AGM) of Quality Foils (India) Limited will be held on Friday, 11th September, 2026 at 10:30 A.M. at the Registered Office of the Company situated at 3, Industrial Development Colony, Hisar, Haryana 125005 in compliance with the applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA:) and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), to transact the Ordinary and Special business as set out in Notice convening the AGM.

In accordance with the applicable MCA Circulars and the applicable SEBI Circulars, Annual Report for the Financial Year 2025-26 along with the Notice of the AGM has been sent electronically to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Registrar & Transfer Agents ("RTA")/ Depository Participants ("DPs"). The cut off date for sending Notice of 36th AGM and Annual report was 7th August, 2026. A letter providing a web-link for accessing Annual Report has been sent to those Members who have not registered their Email IDs.

The communication and the notice of the meeting is also available on the website of the Company www.qualitygroup.in. www.bigshareonline.com and on www.nseindia.com The notice along with the Annual report for the financial year 2025-26 has been sent to the members on 10th August, 2026.

2. CLOSURE OF REGISTER OF MEMBER AND SHARE TRANSFER BOOKS

Notice is also hereby given that pursuant to Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the register of members and share transfer books of the company will remain closed from 05th September 2026 to 11th September 2026 (both days inclusive) for the purpose of ensuing 36th Annual General Meeting.

3. REMOTE E-VOTING

In Compliance with Section 110 and other applicable provisions, if any of the Companies Act, 2013, read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, the Company is pleased to provide a remote e-voting facility to the members of the Company. The Company has engaged the Services of Bigshare Services Private Limited for providing e-voting facility in a secure manner and has appointed M/s Rajesh Garg & Co., Company Secretaries Firm, as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. The Scrutinizer shall submit their report to the Chairman of the Company, or any other person authorized by the Company within two working days of conclusion of the meeting.

The remote e-voting period begins on 08th September 2026 (Tuesday) at 9.00 A.M. and ends on 10th September 2026 (Friday) at 5.00 P.M. The remote e-voting module shall be disabled by Bigshare for voting thereafter. The Members whose names appear in the Register of Members / Beneficial Owners as on the Cut off date i.e. 04th September 2026, may cast their vote electronically. The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date, being 04th September 2026. Once the vote is cast by the shareholder, the shareholders shall not be allowed to change it subsequently.

The facility for voting through ballot paper system shall also be made available at the venue of the meeting and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to vote at the meeting through above voting system.

Any person, who become a member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. September 04, 2026 may obtain the login ID and password by sending request at contactus@qualityfoils.com. The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

In case shareholders/ investor have any queries regarding E-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and i-Vote e-Voting module available at https://ivote.bigshareonline.com, under download section or write query to Mr. Mukesh Kumar, Branch Manager, Bigshare Services Pvt. Ltd. at mukesh@bigshareonline.com and keeping company in cc at contactus@qualityfoils.com

Process for those members whose email IDs are not registered with the depositories for procuring user ID and password and registration of email IDs for e-voting for the resolution set out in this notice:

1. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to RTA i.e. bssdelhi.bd@bigshareonline.com.
2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 Digit Beneficiary ID), Name, Client Master or Copy of Consolidated Account Statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to RTA. If you are an individual shareholder holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained in step 1(A).
3. In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-voting facility provided by listed companies, individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with depositories and depository participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-voting facility.

Date: 20.08.2026
Place: Hisar, Haryana

For Quality Foils (India) Limited
Sd/- Kuldip Bhargava Chairman and Director DIN: 00011103

Classified Advertisement

124 करोड़ से बनेगा भव्य गुरु रविदास धाम, स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल होगी जीवनी

-हरियाणा टुडे न्यूज-

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार कुरुक्षेत्र के उमरी में करीब पांच एकड़ भूमि पर 124 करोड़ रुपये की लागत से भव्य गुरु रविदास धाम का निर्माण करा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि संत गुरु रविदास जी के ÷बेगमपुरा÷ के विचार को आगे बढ़ाना और समाज में समरसता को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास जी ने ऐसे समाज की कल्पना की थी, जहां दुख, अन्याय, भेदभाव और ऊंच-नीच के लिए कोई स्थान न हो। उनके विचार आज भी समाज को समानता, सम्मान और भाईचारे के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। मुख्यमंत्री कैथल जिले के जडौला गांव में आयोजित संत गुरु रविदास जी की प्रतिमा स्थापना समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने संत गुरु रविदास कल्याण समिति को 31 लाख रुपये की अनुदान राशि देने की घोषणा की और कहा कि सरकार संतों-महापुरुषों के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

650वीं जयंती पर समरसता संकल्प अभियान- नायब सैनी ने कहा कि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर 'समरसता संकल्प अभियान' चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य सामाजिक एकता, जागरूकता और मानव गरिमा का संदेश जन-जन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में दो लाख से अधिक युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी गई हैं। सरकार गरीब, वंचित, महिलाओं, युवाओं और अनुसूचित जाति सहित सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है।

स्कूलों में पढ़ाई जाएगी गुरु रविदास की जीवनी- कार्यक्रम संयोजक एवं पूर्व राज्यसभा सांसद ईश्वर सिंह ने गुरु रविदास जी की जीवनी को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि गुरु रविदास जी ने समानता, भाईचारे और मानव कल्याण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि उनके विचार आज भी समाज को एकता और सद्भाव की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।

योग्यता के आधार पर मिली दो लाख से अधिक नौकरियां

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले बारह वर्षों में प्रदेश के दो लाख से अधिक युवाओं को योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बिना भेदभाव के गरीब, वंचित, अनुसूचित जाति, महिलाओं और युवाओं सहित सभी वर्गों के कल्याण के लिए योजनाएं लागू कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करने का लक्ष्य केवल रोजगार देना नहीं, बल्कि युवाओं में विश्वास पैदा करना भी है। समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। गुरु रविदास जी के भजनों और सामाजिक समरसता के संदेश के साथ आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने का संकल्प भी लिया।

QUALITY FOILS (INDIA) LIMITED

Formerly known as Quality Foils (India) Pvt. Ltd.
(An ISO 9001:2008 Certified Company)
3, Industrial Development Colony, Hisar-125005,Haryana
Tel: 0091 – 1662 – 220327, 220328
E-mail: contactus@qualityfoils.com: Website: www.qualitygroup.in
CIN: L27107HR1990PLC030929

36वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई-वोटिंग एवं सदस्यों के रजिस्टर के बंद रहने के संबंध में सूचना

1. सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि क्वालिटी फॉयल्स (इंडिया) लिमिटेड की 36वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) शुक्रवार, 11 सितंबर, 2026 को प्रातः 10:30 बजे, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 3, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉलोनी, हिसार, हरियाणा - 125005 में आयोजित की जाएगी। यह बैठक कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('MCA') तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ('SEBI') द्वारा जारी लागू कानूनों एवं परिपत्रों के अनुपालन में आयोजित की जाएगी तथा AGM आयोजित करने संबंधी सूचना में निर्धारित साधारण एवं विशेष कार्यों का निपटारा किया जाएगा।

लागू MCA परिपत्रों एवं लागू SEBI परिपत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट, AGM की सूचना के साथ, उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी गई है, जिनके ई-मेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट ('RTA')/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ('DPs') के पास पंजीकृत हैं। 36वीं AGM की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट भेजने के लिए कट-ऑफ तिथि 7 अगस्त, 2026 थी। जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं कराया है, उन्हें वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु वेब-लिंक उपलब्ध कराने वाला एक पत्र भेजा गया है।

बैठक से संबंधित संचार एवं सूचना कंपनी की वेबसाइट www.qualitygroup.in, www.bigshareonline.com तथा www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ AGM की सूचना सदस्यों को 10 अगस्त, 2026 को भेजी गई है।

2. सदस्यों के रजिस्टर एवं शेयर ट्रांसफर बुक के बंद रहने के संबंध में सूचना

एतद्द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 के विनियम 42 तथा Companies Act, 2013 की धारा 91, जिसे Companies (Management and Administration) Rules, 2014 के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर ट्रांसफर बुक आगामी 36वीं वार्षिक आम बैठक के प्रयोजन से 05 सितंबर, 2026 से 11 सितंबर, 2026 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेगा।

3. रिमोट ई-वोटिंग

Companies Act, 2013 की धारा 110 तथा अन्य लागू प्रावधानों, जिन्हें Companies (Management and Administration) Rules, 2014 के नियम 22 के साथ पढ़ा जाए, के अनुपालन में कंपनी के सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान की जा रही है। कंपनी ने सुरक्षित तरीके से ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की सेवाएं ली हैं तथा ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए मैसर्स राजेश गर्ग एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीज फर्म को स्क्रूटिनाइज़र नियुक्त किया है। स्क्रूटिनाइज़र बैठक के समापन के दो कार्य दिवसों के भीतर अपनी रिपोर्ट कंपनी के अध्यक्ष अथवा कंपनी द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा।

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि 08 सितंबर, 2026 (मंगलवार) को प्रातः 9:00 बजे प्रारंभ होगी और 10 सितंबर, 2026 (शुक्रवार) को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी। इसके पश्चात बिगशेयर द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को मतदान हेतु निष्क्रिय कर दिया जाएगा। वे सदस्य जिनके नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात 04 सितंबर, 2026 को सदस्यों के रजिस्टर/लाभकारी स्वामियों (Beneficial Owners) के रजिस्टर में दर्ज हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना मत दे सकते हैं। शेयरधारकों का मतदान अधिकार 04 सितंबर, 2026 की कट-ऑफ तिथि को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा। एक बार शेयरधारक द्वारा अपना मत दे दिए जाने के पश्चात, शेयरधारक को बाद में उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।

बैठक स्थल पर बैलट पेपर प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी तथा बैठक में उपस्थित वे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मत नहीं दिया है, उपर्युक्त मतदान प्रणाली के माध्यम से बैठक में अपना मत दे सकेंगे।

कोई भी व्यक्ति, जो बैठक की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और जिसके पास कट-ऑफ तिथि अर्थात 04 सितंबर, 2026 को कंपनी के शेयर हैं, वह contactus@qualityfoils.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मत दे दिया है, वे बैठक में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन उन्हें पुनः अपना मत देने का अधिकार नहीं होगा।

ई-वोटिंग के संबंध में किसी शेयरधारक/निवेशक के कोई प्रश्न होने पर, वे https://ivote.bigshareonline.com पर उपलब्ध Frequently Asked Questions ('FAQs') एवं i-Vote e-Voting Module के डाउनलोड सेक्शन को देख सकते हैं अथवा श्री मुकेश कुमार, ब्रांच मैनेजर, बिगशेयर सर्विसेज प्रा. लि. को mukesh@bigshareonline.com पर ई-मेल कर सकते हैं तथा ई-मेल में कंपनी को contactus@qualityfoils.com पर CC में रख सकते हैं।

उन सदस्यों के लिए प्रक्रिया जिनके ई-मेल आईडी डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत नहीं हैं, यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने तथा इस सूचना में निर्धारित प्रस्तावों के लिए ई-वोटिंग हेतु ई-मेल आईडी पंजीकृत कराने के संबंध में:

1. भौतिक रूप में धारित शेयरों के मामले में: कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रति (आगे एवं पीछे), PAN (स्व-सत्यापित PAN कार्ड की स्कैन की हुई प्रति), AADHAR (स्व-सत्यापित आधार कार्ड की स्कैन की हुई प्रति) RTA अर्थात बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को bssdelhi.bd@bigshareonline.com पर ई-मेल द्वारा उपलब्ध कराएं।

2. डीमैट रूप में धारित शेयरों के मामले में: कृपया DPID-CLID (16 अंकों का DPID + CLID अथवा 16 अंकों का Beneficiary ID), नाम, Client Master अथवा Consolidated Account Statement की प्रति, PAN (स्व-सत्यापित PAN कार्ड की स्कैन की हुई प्रति), AADHAR (स्व-सत्यापित आधार कार्ड की स्कैन की हुई प्रति) RTA को ई-मेल द्वारा उपलब्ध कराएं। यदि आप डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक हैं, तो आपसे अनुरोध है कि स्टेप 1(A) में बताई गई लॉगिन प्रक्रिया का संदर्भ लें।

3. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा के संबंध में SEBI के 09 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को अपने डिपॉजिटरीज एवं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास रखे अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आईडी सही रूप से अपडेट करना आवश्यक है।

दिनांक: 20.08.2026
स्थान: हिसार, हरियाणा

क्वालिटी फॉयल्स (इंडिया) लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षरित/-
कुलदीप भार्गव
अध्यक्ष एवं निदेशक
DIN: 00011103

कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान, नहीं मिलेगा दलित को सम्मान

-विशेषसंवाददाता-

नई दिल्ली : संसद का मानसून सत्र में विपक्ष द्वारा उठाए गए प्रश्नों के जवाब न देने के कारण सरकार ने दबाव में आकर अनिश्चितकाल के लिए सत्र स्थगित कर दिया है। इस मानसून सत्र में जब विपक्ष द्वारा छात्रों पर भाजी गई लाठियां के प्रश्न पर गृहमंत्री अमित शाह सदन में नहीं पहुंच पाए। देश के ऊपर आर्थिक बोझ डालने वाला परिसीमन बिल भी सदन में पारित नहीं हो पाया जिसमें पूरे देश के अंदर सांसद और एमएलए की सीटों को बढ़ाने का प्रावधान है। इसी बीच संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ऊपर दलित होने के कारण शुद्धिकरण अनटचेबिलिटी फैलाने का भाजपा सरकार पर आरोप लगा दिया है पाठकों को बता दें कि पिछले दिनों में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने उत्तराखंड के रामलीला मैदान में एक रैली की थी जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने वहां जाकर उस जगह का शुद्धिकरण किया जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाषण दिया था। देश के अंदर अनेक ऐसे नेता हैं। जहां पर उनके दलित होने और निम्न जाति का होने का एहसास दिलाया जाता है। पिछले दिनों अखिलेश यादव के साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार किया गया उनके सरकारी निवास को गंगाजल से धुलवाया गया और उनके ऊपर टूंटी चोरी करने का आरोप लगाया गया। खुद हमारे गृहमंत्री अमित शाह भरी संसद में बयान दे चुके हैं आजकल सभी जगह भीम भीम भीम भीम जय भीम बोलने का चलन हो गया है इसकी जगह यदि राम राम राम होता तो इन्हें स्वर्ग मिल गया होता। उस समय देश की संसद के अंदर अनेक पिछड़े और दलित सांसद मौजूद थे यदि उसी समय इन सांसदों ने अपनी आवाज उठाकर कह दिया होता यदि हमें राम-राम रखने से स्वर्ग मिलता तो हजारों वर्षों की गुलामी नहीं सहनी पड़ती क्योंकि जब तक लोगों ने राम-राम रखकर शिक्षा से दूरी बनाए रखी तो किसी भी दलित या ओबीसी का भला नहीं हुआ है। शिक्षा और संपत्ति हमेशा कुछ लोगों की गुलाम बन कर रह गई थी। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बदौलत सभी दलित और पिछड़े वर्ग को संसद बनाकर स्वर्ग जैसी सुविधाओं का आनंद उठाने का जो अवसर मिला है वह सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में रचित उन स्वर्ण अक्षरों के कारण मिला है जिसकी आजादी का जशन हम 15 अगस्त को प्रतिवर्ष लाल क़िले पर मानते हैं।

जिस प्रकार से जब कभी सनातन धर्म या हिंदू धर्म के लिए ब्राह्मण चाहे अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा एक होकर के लड़ाई लड़ते हैं उसी प्रकार अनटचेबिलिटी पर किसी भी हमारे अंतरराष्ट्रीय नेता का अपमान होता है तो सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिसलेटिव असेंबली के सदस्यों को एक साथ होकर अपने समाज और अपने समाज से गए हुए सभी गणमान्य सामाजिक नेताओं को एक हो जाना चाहिए। परंतु अपनी निजी राजनीति विचारधारा के कारण यह व्यक्ति एक नहीं होते हैं बहन मायावती जी का मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन में आना बहुत अच्छी बात है।जबकि दूसरे स्वर्ण समाज के लोग एक साथ होकर के इस प्रकार की स्थिति में इकट्ठे खड़े दिखाई देते हैं। डॉ भीमराव अंबेडकर ने अपने प्रयासों से उस समय जब संविधान के अंदर स्वर्ण अक्षरों से अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता के प्रति कानून बनाकर संविधान के अंदर सुशोभित किया गया। तब भी उनको अनेक प्रकार के विरोधों का सामना करना पड़ा होगा।

आज पूरे भारतवर्ष में लाखों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पैदा हो चुके हैं। उसके बाद भी इस प्रकार का अपमान हमारे लोगों को सहना पड़ता है सरेआम यह बात प्रदर्शित की जाती है कि अनटचेबिलिटी से भारत देश की धरती और मंदिर को नुकसान पहुंचता है। हमारे पूर्व राष्ट्पति रामनाथ कोविंद भी जब एक मंदिर में गए तो इस प्रकार की सुर्खियां अखबारों के अंदर देखने को मिली थी। इसी प्रकार देश के सर्वोच्च पद पर असिन माननीय राष्ट्रपति द्रोपति मुर्मू महोदय को भी राम मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है । जो इस बात को प्रदर्शित करती है कि आज भी देश के अंदर छुआछूत मौजूद है इस प्रकार के घटनाक्रम को जब देश की सर्वोच्च पंचायत में प्रश्न के तौर पर रखा तो सरकार को इस समय उसकी जांच के आदेश देने चाहिए। सभी उन लोगों को सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए जिन्होंने इस प्रकार का घिनौना कार्य किया है परंतु कई बार देखने में आता है कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था को धराशाई कर दिया है। जो एक पूरे भारतवर्ष के लिए गलत संदेश की आंधी की तरह फैल रहा है। आने वाले समय में लोगों का कानून से भरोसा उठ जाना एक बहुत बड़ा गलत संदेश होगा है। जिसको संभाल पाना किसी भी सरकार के हाथ में नहीं रहेगा यदि आज की नई जनरेशन जिसे जैन जी के नाम से जाना जाता है।

उन्होंने पूरे भारतवर्ष में जंतर मंतर जैसी स्थिति पैदा कर दी तो देश के अंदर युवाओं के अंदर उबलता हुआ खून इस प्रकार से हमारे कानून व्यवस्था पर छंटे गिराएगा। जिसकी गर्मी कोई भी सहन नहीं कर पाएगा। हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया पर देखनेमें आया कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी से एक छात्र ने कानून की मानक उपाधि लेने से मना कर दिया जो अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। आज हमारी राजनीति किस और जा रही है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। संसद के अंदर अनेक प्रकार के दूसरे बिलों को पेश किया जा रहा है परंतु पूरे देश के अंदर रोजगार के पर युवाओं का ठेके प्रथा के आधार पर खून चूसने वाले ठेकेदारों और अफसर के प्रति किसी भी प्रकार का बिल नहीं लाया जा रहा है अभी-अभी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य के पद भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें दिल्ली अतिथि शिक्षक का अनुभव जीरो माना गया अर्थात यह हुआ कि दिल्ली के अतिथि अध्यापकों का अनुभव संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं माना जाएगा।

संघ लोक सेवा आयोग एक भारती करने वाली एजेंसीहैं ।परंतु सभी प्रकार के नियम दिल्ली शिक्षा विभाग द्वारा बनाए जाते हैं क्या दिल्ली सरकार यह बताने का कष्ट करेंगी कि जब दिल्ली के अतिथि अध्यापक बड़ी ईमानदारी के साथ स्कूलों में सभी कार्य करते हैं और पूरे दिन रुकते हैं तो उनका अनुभव संघ लोक सेवा द्वारा जारी की गई भर्ती में क्यों नहीं माना जाएगा। अभी अतिथि अध्यापकों ने कोर्ट के माध्यम से इसमें फॉर्म अप्लाई करने की अनुमति लिए है। इस प्रकार के संज्ञान जो युवा शक्ति के लिए रोजगार का कार्य करते हैं इस प्रकार का मुद्दा सांसद और विधानसभा में जनता के प्रतिनिधियों द्वारा क्यों नहीं उठाया जाता है क्या हमारे देश के सांसद और विधानसभा में केवल अपने बच्चों के लिए ही सोचते हैं क्या देश में केवल उन्हीं के बच्चे पढ़कर आगे एमएलए एमपी बनकर पीढ़ी दर पीढ़ी देश के युवाओं का खून चूसते रहेंगे ।इस प्रकार के मुद्दों को संसद में और विधानसभा में नहीं उठाया जाता।

जहां भाजपा सरकार देश में भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर लेकर आई थी आज उन्हें भ्रष्टाचार मुद्दों के ऊपर देश में कोहराम मचा हुआ है जहां पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार के रूप में ₹500 में काम बन जाता था आज लोग कहते हैं कि उसकी जगह हमें दो से ₹3000 देने पड़ते हैं इसी प्रकार का एक मामला हमारे सामने जींद जिले में आया जिसमें एक महिला तहसीलदार ने अपने दलाल के मार्फत एक रजिस्ट्री पर ₹50000 लिए जिसकी जाँच सुपरिंटेंडेंट ऑफ़ पुलिस जींद द्वारा की जा रही है। जिसमें सभी पैसे एक नंबर से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन द्वारा दिए गए हैं परंतु पाठकों को बता दें कि ऐसे मामलों को जल्द ही दबा दिया जाता है और जांच बंद कर दी जाती है। जिसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान है।

अवैध फाइनेंसरों पर सख्त कार्रवाई करे पुलिस प्रशासन : वजीर सिंह पूनिया

-पाठकपक्ष न्यूज-

हिसार : वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं सदस्य ऑल इंडिया राहुल गांधी कांग्रेस कमेटी वजीर सिंह पूनिया ने जारी बयान में कहा कि हिसार शहर और जिले में कथित तौर पर अवैध रूप से संचालित हो रहे फाइनेंस कारोबार की पुलिस प्रशासन और सरकार को गंभीरता से जांच करवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि बिना नियम-कानून के लोगों को ऊंची ब्याज दरों पर पैसा दिया जा रहा है और बाद में उनसे दबाव, धमकी या जबरन वसूली की जा रही है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वजीर सिंह पूनिया ने कहा कि गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति अक्सर आर्थिक मजबूरी में कर्ज लेने के लिए ऐसे फाइनेंसरों के चंगुल में फंस जाता है। आरोप है कि कई मामलों में भारी ब्याज और लगातार बढ़ते कर्ज के कारण परिवार आर्थिक संकट में पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे मनमाना ब्याज

वसूलना किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों का खून चूसने वाली इस तरह की कथित अवैध वसूली व्यवस्था पर प्रशासन को प्रभावी ढंग से रोक लगानी चाहिए। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की कि जिले और शहर में ऐसे सभी फाइनेंसरों की पहचान कर उनके कारोबार की वैधता, लाइसेंस, ब्याज दरों, वसूली के तरीकों और शिकायतों की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। यदि किसी के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियों के प्रमाण मिलते हैं तो उसके खिलाफ बिना किसी राजनीतिक दबाव के कानूनी कार्रवाई की जाए और अवैध रूप से चल रहे प्रतिष्ठानों को बंद करवाया जाए। पूनिया ने कहा कि कानून-व्यवस्था केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई करने से मजबूत नहीं होती, बल्कि प्रशासन को ऐसी परिस्थितियों पर भी नजर रखनी चाहिए जिनसे आम नागरिकों में भय और असुरक्षा पैदा होती है। हिसार में अमन-चैन और कानून का राज कायम करना सरकार और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी और आम जनता की आवाज उठाती रही है और आगे भी जनता के अधिकारों की लड़ाई मजबूती से लड़ती रहेगी। उन्होंने सरकार से मांग की कि अवैध फाइनेंस और कथित जबरन वसूली से संबंधित शिकायतों के लिए प्रभावी जांच व्यवस्था बनाई जाए तथा पीड़ित लोगों की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वजीर सिंह पूनिया ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आर्थिक मजबूरी में फंसे किसी भी नागरिक का शोषण न हो और हर व्यक्ति को कानून के संरक्षण का भरोसा मिले।

संस्थापक-स्व. बलवीर रावलवासिया, मुद्रक एवं प्रकाशक-कुलदीप रावलवासिया ने हरियाणा टूडे समाचार पत्र के लिए सूचना प्रिर्टेस 33 एस माडल टाउन से छपवाकर 18 बी, उद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली रोड, हिसार से प्रकाशित किया।
आर.एन.आई. नं.51456/92 haryanatoday5@gmail.com
प्रधान सम्पादक : कुलदीप रावलवासिया मो. 94163-97237, 99962-97237, उप सम्पादक : राजेश भारत मो. 8607711777, छायाकार व संवाददाता : राहुल चनानी
http://facebook.com/kuldeep.rawalwasia, facebook: Haryana Today Newspaper (Public Group)
कानूनी सलाहकार: राजीव कस्वां एडवोकेट (पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट) एल. के. सेठी एडवोकेट, दलीप जाखड एडवोकेट, प्रवीर आर्य एडवोकेट, सतीश कुमार सरोहा एडवोकेट जिला न्यायालय परिसर हिसार (हरियाणा)
दिग्विजय नेहरा एडवोकेट (पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट), शत्रुधन एडवोकेट पूर्व जिला न्यायवादी हिसार, कमल जीत एडवोकेट पूर्व जिला न्यायवादी हांसी, रत्न सिंह एडवोकेट नरवाना, (जीन्द), श्वेता यादव एडवोकेट नई दिल्ली
सभी प्रकार के वाद विवाद का न्याय क्षेत्र हिसार होगा। सम्पादक का किसी के लेख व विचारों से सहमत होना अनिवार्य नहीं है।